

नियमित आधार पर विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती 2025-26
विज्ञापन संख्या: एचओ/एचआरएम/आरईसीआर/2024-25/सीओएम-70

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क का भुगतान: 27-12-2024 से 20-01-2025 तक

यूको बैंक विशेषज्ञ संवर्ग के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

- आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि वे पात्रता की तिथि के अनुसार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि को या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से बैंक में जमा कर दिया जाता है।
- उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज (आयु प्रमाण, योग्यता, अनुभव (यदि लागू हो) आदि) अपलोड करने होंगे, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर परीक्षा/शॉर्टलिस्टिंग/साक्षात्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण और अपडेट के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> -> [career](#) देखते रहें।
- सभी संशोधन/शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) केवल बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आवेदन और अन्य दस्तावेजों की कोई हार्ड कॉपी इस कार्यालय को नहीं भेजी जाएगी।

योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन के भुगतान शुल्क/सूचना प्रभार, परीक्षा/साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया और पैटर्न के संबंध में विज्ञापन को ध्यान से पढ़ने के बाद बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> -> [career](#) -> [Recruitment Opportunities](#) पर उपलब्ध पंजीकरण लिंक के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वे यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

1. रिक्तियों का विवरण:

क्र.सं.	पद	स्केल	आयु 01-11-2024 तक	रिक्तियां	एस सी	एस टी	ओबी सी	ईडब्ल्यू एस	यूआर	जिसमें से पीडब्ल्यूबीडी			
										वीआई	एचआई	ओसी	आईडी एवं अन्य
1	अर्थशास्त्री	कप्रश्रेवे-I	21-30	02	00	00	00	00	02	00	00	00	00
2	अग्नि सुरक्षा अधिकारी	कप्रश्रेवे-I	22-35	02	00	00	00	00	02	00	00	00	00
3	सुरक्षा अधिकारी	कप्रश्रेवे-I	25-35	08	00	00	02	02	04	00	00	00	00
4	जोखिम अधिकारी	मप्रश्रेवे-II	25-35	10	01	01	02	01	05	00	00	00	00
5	आईटी अधिकारी	मप्रश्रेवे-II	25-35	21	02	01	06	02	10	00	00	00	00
6	चार्टर्ड एकाउंटेंट	मप्रश्रेवे-II	25-35	25	04	02	07	02	10	01	00	00	00
कुल				68	07	04	17	07	33	01	00	00	00

संक्षिप्ताक्षरों का अर्थ है: कप्रश्रेवे-I - कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान -I, मप्रश्रेवे-II - मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान -II

एससी - अनुसूचित जाति; एसटी - अनुसूचित जनजाति; ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर - अनारक्षित, पीडब्ल्यूबीडी - बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति; वीआई - दृष्टिबाधित; एचआई - श्रवण बाधित; ओसी - आर्थोपेडिक रूप से विकलांग/लोकोमोटर विकलांगता, आईडी - बौद्धिक विकलांगता

** ऊपर उल्लिखित रिक्तियां अनंतिम हैं और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। बैंक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित रिक्तियों की संख्या को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक पद की रिक्ति के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार किसी अन्य पद की रिक्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर श्रेणी में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अधीन, ऑनलाइन आवेदन में दर्शाई गई श्रेणी को ध्यान में रखते हुए परिणाम पर कार्यवाई की जाएगी। केवल ऑनलाइन परीक्षा और/या उसके बाद के साक्षात्कार और/बाद की प्रक्रियाओं में आवेदन करने/उपस्थित होने और शॉर्टलिस्ट किए जाने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को बैंक में रोजगार की पेशकश की जाएगी। जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है उसके अलावा किसी अन्य श्रेणी के तहत उम्मीदवारी पर विचार करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. वेतनमान और परिलब्धियाँ:

स्केल	मूल वेतनमान
कप्रश्रेवे-I	48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920
मप्रश्रेवे-II	64820-2340/1-67160-2680/10-93960

• डी.ए., एच.आर.ए./लीज आवास, सी.सी.ए., चिकित्सा लाभ, अन्य भत्ते और अनुलाभ बैंक में प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे। इस संबंध में बैंक और उद्योग स्तर के समझौते के नियमों में बदलाव समय-समय पर लागू होंगे।

3. पात्रता मानदंड:

क) राष्ट्रीयता/नागरिकता

उम्मीदवार को या तो होना चाहिए

(i) भारत का नागरिक या

(ii) नेपाल का नागरिक या

(iii) भूटान की प्रजा या

(iv) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से जनवरी 1962 से पहले भारत आया था या

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो।

वशर्ते कोई उम्मीदवार उक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित हो, वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

ख) ऊपरी आयु सीमा में छूट

क्र.सं.	श्रेणी	आयु में छूट
i.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)	5 वर्ष
ii.	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) {ओबीसी-एनसीएल}	3 वर्ष
iii.	बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति जैसा कि "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के तहत परिभाषित किया गया है	10 वर्ष
iv.	भूतपूर्व सैनिक, कमीशन अधिकारी जिनमें आपातकालीन कमीशन अधिकारी (ईसीओ) / शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 5 साल की सैन्य सेवा प्रदान की है और असाइनमेंट पूरा होने पर रिहा कर दिए गए हैं (उन लोगों सहित जिनका असाइनमेंट एक के भीतर पूरा होने वाला है) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से वर्ष) सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीमा के अधीन, सैन्य सेवा या अमान्यता के कारण कदाचार या अक्षमता या शारीरिक विकलांगता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्त करने के अलावा अन्यथा	5 वर्ष
v.	1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति	5 वर्ष

नोट:

- I. एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों को ऊपरी आय सीमा में छूट संचयी आधार पर दी गई है, शेष श्रेणियों में से केवल एक के लिए आय में छूट की अनुमति है जैसा कि बिंदु iii से v में ऊपर बताया गया है।
- II. निर्दिष्ट अधिकतम आय सीमा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवारों पर लागू है।
- III. आय में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय और बैंक द्वारा साक्षात्कार के समय या अपेक्षित भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरण में फोटोकॉपी के साथ आवश्यक मूल प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- IV. उम्मीदवार को एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वैध प्रमाणपत्र के अभाव में, उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी और इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- V. ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक खंड शामिल होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार के तहत सिविल पद और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभ से बाहर किए गए क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी चाहिए। उम्मीदवार के पास समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ वैध ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- VI. यदि कोई पूर्व सैनिक किसी भी नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। हालाँकि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, पूर्व सैनिक को किसी भी नागरिक रोजगार में शामिल होते ही, विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तारीख-वार विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन पत्र देना चाहिए, जिसके लिए उसने आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी गई हैं और जहां भी पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।
- VII. आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवार जिनके लिए किसी आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, वे सामान्य वर्ग के लिए घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे सामान्य वर्ग के लिए लागू मानदंडों को पूरा करते हों।
- VIII. केवल बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क विकलांगता" का अर्थ है एक निर्दिष्ट विकलांगता से कम 40% वाला व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें विकलांगता वाले वे व्यक्ति शामिल हैं, जिनके मामले में विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है और जिसे प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। . जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाणपत्र प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए सत्यापन/पुनः सत्यापन के अधीन होगा।
- IX. बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित और सीटों के अनुसार होगा। ये दिशानिर्देश द्वारा जारी निदेश के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। भारत सरकार के दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण, यदि कोई हों।

घ) ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

1. ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से प्राप्त आय शामिल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष की आय होगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें परिवार की आय की परवाह किए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा:

- i.) 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
- ii.) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- iii.) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- iv.) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को क्लब किया जाएगा।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन/साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए

उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन/साक्षात्कार की प्रक्रिया में उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाणपत्र लाना आवश्यक होगा।

4. इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे।

5. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के अगले निर्देशों और किसी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

इ) 01-11-2024 तक शैक्षिक योग्यता और अनुभव:

1. अर्थशास्त्री कप्रश्नेवे-1

शैक्षिक योग्यता	भारत सरकार या उसके नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से अर्थशास्त्र / अर्थमिति / व्यावसायिक अर्थशास्त्र / अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र / वित्तीय अर्थशास्त्र / औद्योगिक अर्थशास्त्र / मौद्रिक अर्थशास्त्र / या समकक्ष में स्नातकोत्तर डिग्री।
-----------------	---

2. कप्रश्नेवे-1 में अग्नि सुरक्षा अधिकारी कप्रश्नेवे-1

शैक्षिक योग्यता	अनुभव
नेशनल फायर सर्विस कॉलेज (एनएफएससी) नागपुर से फायर इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री [या] सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों निकायों से फायर इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री [या] सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय निकाय से स्नातक की डिग्री तथा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से प्रभागीय अधिकारी पाठ्यक्रम	योग्यता के बाद अग्नि सुरक्षा अधिकारी या पीएसयू/पीएसबी/केंद्र सरकार में समकक्ष पद के रूप में न्यूनतम एक (01) वर्ष का समग्र अनुभव। / राज्य सरकार / सिटी फायर ब्रिगेड / राज्य फायर ब्रिज / कॉर्पोरेट / बड़े औद्योगिक परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रभारी।
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय निकाय से स्नातक की डिग्री और इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स इंडिया/इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग-यूके से स्नातक [या] सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय निकाय से स्नातक की डिग्री और कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से उप अधिकारी/स्टेशन अधिकारी पाठ्यक्रम	योग्यता के बाद अग्नि सुरक्षा अधिकारी या पीएसयू/पीएसबी/केंद्र सरकार में समकक्ष पद के रूप में न्यूनतम तीन (03) वर्ष का समग्र अनुभव। / राज्य सरकार / सिटी फायर ब्रिगेड / राज्य फायर ब्रिज / कॉर्पोरेट / बड़े औद्योगिक परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रभारी।
आवश्यक कौशल:	- उम्मीदवार को अग्नि सुरक्षा मानदंडों और विनियमों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए; - आग से बचाव और अग्निशमन तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए; - सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने में प्रवीणता बु - नियादी कंप्यूटर ज्ञान।

3. सुरक्षा अधिकारी कप्रश्नेवे-1

शैक्षिक योग्यता	भारत सरकार या उसके नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक।
अनुभव	सेना/नौसेना/वायु सेना के कमीशन अधिकारी या अर्धसैनिक बलों (बीएसएफ/सीआरपीएफ/आईटीबीपी/सीआईएसएफ/एसएसबी आदि) के सहायक कमांडेंट या न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा वाला उपपुलिस अधीक्षक। [या] अर्धसैनिक बलों (बीएसएफ/सीआरपीएफ/आईटीबीपी/सीआईएसएफ/एसएसबी/आईबी/सीबीआई आदि) में निरीक्षक और राज्य पुलिस के उप-निरीक्षक (जांच विंग) के साथ न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा।

4. जोखिम अधिकारी मप्रश्रेवे-II

शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य: भारत सरकार या उसके नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान से वित्त/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री। [या] इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन / इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी / इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से कंपनी सेक्रेटरी। [या] भारत सरकार या उसके नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान से वित्त/जोखिम प्रबंधन या संबंधित क्षेत्रों में एमबीए/पीजीडीएम। वांछित: व्यावसायिक प्रमाणन जैसे सीएफए (सीएफए-इंस्टीट्यूट-यूएसए) /एफआरएम (जीएआरपी) /पीआरएम (पीआरएमआईए) /प्रतिष्ठित संस्थान से जोखिम प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में कोई अन्य प्रमाणन।
अनुभव	बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन या संबंधित कार्यों में न्यूनतम दो (2) वर्ष का अनुभव।

5. आईटी अधिकारी मप्रश्रेवे-II

शैक्षिक योग्यता	भारत सरकार या उसके नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक्स/एमसीए/एमएससी कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई/बी.टेक
अनुभव	पीएसयू/बैंक/वित्तीय संस्थानों/सूचीबद्ध आईटी कंपनियों/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योग्यता के बाद न्यूनतम दो (2) वर्ष का अनुभव। अधिमानित अनुभव क्षेत्र: निम्नलिखित में से किसी भी प्रोफाइल में सिद्ध अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी: - जावा विकास - जावा उत्पादन समर्थन - माइक्रोसॉफ्ट. शुद्ध विकास - माइक्रोसॉफ्ट. शुद्ध उत्पादन समर्थन - आईटी में परियोजना प्रबंधन - परीक्षण (जावा, जावास्क्रिप्ट, जेएसपी, स्प्रिंग बूट, माइक्रोसॉफ्ट.नेट, पायथन आदि जैसी प्रौद्योगिकी में) - विंडोज़/लिनक्स सिस्टम प्रशासन - डेटाबेस प्रशासन (संबंधपरक डेटाबेस जैसे Oracle, MySQL, MSSQL) - नेटवर्किंग (बुनियादी और उन्नत), राउटर, स्विच और फ़ायरवॉल में व्यावहारिक अनुभव के साथ

6. चार्टर्ड अकाउंटेंट मप्रश्रेवे-II

शैक्षिक योग्यता	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणन
अनुभव	विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं या कॉर्पोरेट वित्तीय परिवेश में योग्यता के बाद न्यूनतम दो (2) वर्ष का अनुभव

उम्मीदवार के पास वैध मार्कशीट/डिग्री प्रमाणपत्र होना चाहिए और पद के लिए पंजीकरण करते समय स्नातक में प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना चाहिए।

टिप्पणी:

(1) उल्लिखित सभी शैक्षिक योग्यताएं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से होनी चाहिए और अंतिम परिणाम 01-11-2024 को या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए था।

(2) 01-11-2024 को या उससे पहले परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी मार्कशीट या अनंतिम प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि होगी। यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है और वेब आधारित प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, तो विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उचित दस्तावेज/प्रमाणपत्र मूल रूप से जारी और हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसमें उत्तीर्ण होने की तारीख का उचित उल्लेख किया गया हो। उसके बाद सत्यापन और आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।

(3) उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव तक इंगित करना चाहिए। जहां सीजीपीए/ओजीपीए प्रदान किया जाता है, उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए। यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो उम्मीदवार को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रेड को प्रतिशत में बदलने और उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बारे में विश्वविद्यालय के मानदंडों का उल्लेख रहे।

यदि विज्ञापित पद के लिए अनुभव की आवश्यकता है, तो नियोक्ता से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि उम्मीदवार के पास उस निर्दिष्ट क्षेत्र में अनुभव है।

4) आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार (अप्रतिदेय) :

आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार 27-12-2024 से 20-01-2025 तक देय (केवल ऑनलाइन भुगतान), दोनों तिथियां सम्मिलित] इस प्रकार होंगे: -

रु. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 100/- (जीएसटी सहित)

रु. अन्य सभी के लिए 600/- (जीएसटी सहित)

आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क उम्मीदवार को वहन करना होगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क/सूचना प्रभार किसी भी खाते में वापस नहीं किया जाएगा न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

5) चयन का तरीका:

- I. चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और/या स्क्रीनिंग और/या साक्षात्कार या बैंक द्वारा तय की गई किसी अन्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- II. बैंक द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी यह जांच करेगी कि उम्मीदवार आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। बैंक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों का निर्णय ले सकता है। इस संबंध में बैंक किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।
- III. दस्तावेजों के सत्यापन के बिना शॉर्ट-लिस्टिंग पूरी तरह से अनंतिम होगी। उम्मीदवारी बैंक द्वारा मांगे जाने पर विवरण/दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी।
- IV. बैंक द्वारा तय किए गए पर्याप्त उम्मीदवारों को उनकी पात्रता, योग्यता, अनुभव (यदि लागू हो) के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसलिए, केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से कोई उम्मीदवार आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता।
- V. ऑनलाइन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया में अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे।
- VI. चयन के लिए मेरिट सूची केवल ऑनलाइन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मेरिट सूची में कट-ऑफ अंक (कट ऑफ बिंदु पर सामान्य अंक) के समान अंक प्राप्त करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवार को उनकी आयु के अनुसार मेरिट सूची में अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा।

बैंक प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर लिखित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि उक्त पदों में से किसी के लिए चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा शामिल हो, तो परीक्षा की संरचना का विवरण बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> के माध्यम से सूचित किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> पर ही दी जाएगी।

नोट: -

1. यदि किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और वह पात्रता मानदंड (आयु, शैक्षिक योग्यता और अनुभव आदि)

- को पूरा नहीं करता पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- साक्षात्कार के समय प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवार प्रक्रिया के लिए अयोग्य हो जाएगा।
 - शैक्षिक योग्यता, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र आदि सहित जाति प्रमाणपत्र जैसे सभी दस्तावेजों को आवश्यकता पड़ने पर उनकी सत्यता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए जारीकर्ता प्राधिकारी के साथ सत्यापित किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ समुचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 - वास्तविक और उचित दस्तावेज जमा करना पूरी तरह से उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी, शामिल होने के बाद कोई भी गलत प्रस्तुति पाई जाने पर भी ऊपर बिंदु 3 में उल्लिखित कार्रवाई जैसी कार्रवाई की जाएगी।

6) परिवीक्षा और सेवा बांड :

चयनित उम्मीदवार सेवा में शामिल होने की तारीख से सक्रिय सेवा की निम्नलिखित अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। चयनित उम्मीदवारों द्वारा एक सेवा बांड निष्पादित करने का अनिवार्य प्रावधान है। चयनित उम्मीदवार को न्यूनतम 2 (दो) वर्ष की अवधि तक बैंक की सेवा करने के लिए एक बांड निष्पादित करना होगा या यदि वह दो वर्ष पूरे होने से पहले बैंक छोड़ना चाहता है तो उसे रुपये 2.00 (दो) लाख रु. की राशि का भुगतान करना होगा।

स्केल	परिवीक्षा अवधि	बांड	
		राशि रुपये में	न्यूनतम सेवा अवधि
कप्रश्रेवे-I	दो (2) वर्ष	दो (2) लाख	दो (2) वर्ष
मप्रश्रेवे-II	एक (1) वर्ष	दो (2) लाख	दो (2) वर्ष

परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य निष्पादन एवं आचरण से संतुष्ट होने पर स्थायीकरण किया जायेगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम मानक हासिल करने में विफल रहता है, तो उसकी सेवाएं बैंक की लागू नीति के अनुसार तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

7) बेंचमार्क विकलांगता वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है) निम्नानुसार हैं:

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए: (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सबडिविजनल मजिस्ट्रेट (प्रथम रैंक से नीचे नहीं) क्लास वजीफा मजिस्ट्रेट / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो (iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त, (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो और (iv) उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है रहता है।

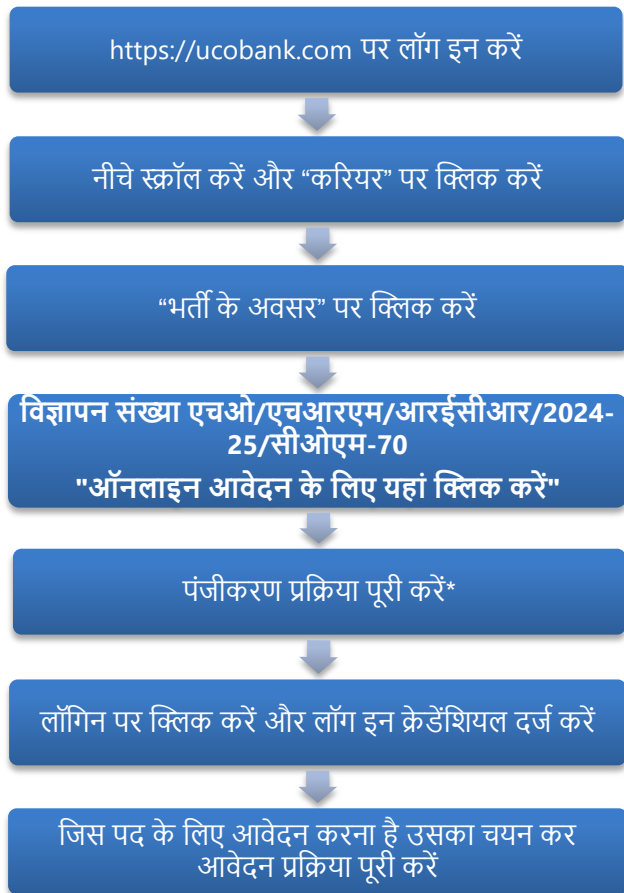
बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए: अधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड होगा जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिले में उप-विभागीय चिकित्सा अधिकारी और एक हड्डी रोग विशेषज्ञ / नेत्र / ईएनटी सर्जन या सरकार द्वारा प्रमाणित उचित प्राधिकारी के रूप में नामित कोई भी व्यक्ति शामिल होगा।

एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय इसके समर्थन में प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

8) आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार केवल बैंक की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से **27-12-2024 से 20-01-2025** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को **अनुलग्नक- 1** में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और दस्तावेजों की स्कैन की गई (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी।



शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से

- उम्मीदवारों के पास अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से करने का विकल्प है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
- स्क्रीन पर पृष्ठी गई जानकारी प्रदान करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें, दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैंक या रीफ्रेश बटन न दबाएं।
- अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेनदेन पूरा होने पर ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

* उम्मीदवारों को अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करके अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए **"नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें"** पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड उत्पन्न किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करना चाहिए। उनके मोबाइल नंबर पर अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड बताने वाला एक एसएमएस भी भेजा जाएगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए किसी भी डेटा में कोई बदलाव संभव/विचार नहीं किया जाएगा।

नोट:

- कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी विवरण अंतिम माने जाएंगे और ऑन लाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद कोई परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- कृपया ध्यान दें कि जब तक फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज (जैसा लागू हो) दिए गए विनिर्देशों के अनुसार नहीं होंगे, सिस्टम उम्मीदवार को आवेदन के अगले चरण में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए किसी भी डेटा में कोई बदलाव संभव/विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण सत्यापित करने और यदि आवश्यक हो तो उसे संशोधित करने के लिए **"सेव एंड नेक्स्ट"** सुविधा का उपयोग करें। पूर्ण पंजीकरण बटन पर क्लिक करने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। दृष्टिबाधित उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने/भरवाने के लिए जिम्मेदार हैं।

- शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उम्मीदवार सिस्टम द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें, यह सुनिश्चित करें कि भरे गए विवरण सटीक हैं और इसे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास रखें। उन्हें यह प्रिंटआउट बैंक को नहीं भेजना चाहिए।
- ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी संबंध में अधूरा हो, जैसे कि उचित फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, लागू दस्तावेजों के बिना, असफल शुल्क/सूचना प्रभार भुगतान, तो उसे वैध नहीं माना जाएगा।
- कृपया ध्यान दें कि उक्त प्रक्रिया आवेदन करने के लिए एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। किसी आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी उम्मीदवार पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी और यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण बाद के चरण में गलत पाए जाते हैं तो वह अभियोजन/सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
- आवेदकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन करें और इंटरनेट पर भारी लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में वियोग/अक्षमता/विफलता या वेबसाइट जाम की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक इंतजार न करें। उपरोक्त कारणों से या यूको बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से आवेदक के अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं हो पाने की कोई ज़िम्मेदारी बैंक नहीं लेता है।
- सूचनाएं, जहां भी आवश्यक हों, केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और/या एसएमएस द्वारा भेजी जाएंगी। यदि मोबाइल नंबर, ईमेल पते में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या अन्यथा बैंक के नियंत्रण से परे कारणों से जानकारी/सूचनाएं उम्मीदवारों तक नहीं पहुंचती हैं तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों को नवीनतम अपडेट के लिए अधिकृत बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी जाती है।

9) सामान्य जानकारी:

1. पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं और इस विज्ञापन में निहित आवश्यकताओं और नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आवेदन पत्र पूरा भरें और इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे जमा करें।
2. बैंक पात्रता मानदंड और/या इस नोटिस में उल्लिखित किसी भी अन्य नियम और शर्तों को जिसमें चयन के लिए योग्यता/विधि और प्रक्रिया के मानदंड भी शामिल हैं, बदलने, संशोधित करने या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सलाह प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी सक्रिय रखें।
4. ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को 01-04-2024 से साक्षात्कार की तारीख तक की अवधि के दौरान जारी 'नॉन-क्रीमी लेयर' खंड वाला ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी 'आय और संपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी 'आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र' उम्मीदवार को साक्षात्कार की तारीख पर या उससे पहले प्राप्त करना होगा। उक्त तिथि के बाद 'आय और संपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के समय 'आय और संपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे बैंक में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के मामले में विकलांगता प्रमाणपत्र विहित प्राधिकारी द्वारा जारी विहित प्रारूप में होना चाहिए।
7. बिंदु 3). ख (v) के तहत आयु में छूट के लिए पात्र व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे 1984 के दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत और सूचित पुनर्वास पैकेज के संदर्भ में राहत के पात्र हैं। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग पत्र सं. एफ.नं. 9/21/2006-आईआर दिनांक 27.07.2007.
8. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम/वर्तमान में धारित (मौलिक और कार्यकारी) बैंक के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या डिस्चार्ज बुक की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जो लोग अभी भी रक्षा सेवा में हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्हें 16.01.2026 को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रमाणपत्र प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप उन्हें तत्काल अयोग्य कर दिया जाएगा। इस श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों को अयोग्यता से बचने के लिए जल्द से जल्द इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
9. उम्मीदवार की पात्रता, पात्रता की जांच के चरण, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, रद्दीकरण के संबंध में सभी मामलों में बैंक का निर्णय आंशिक या पूर्ण रूप से चयन प्रक्रिया और भर्ती

- प्रक्रिया से संबंधित कोई भी अन्य मामला अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक किसी भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं करेगा।
10. पद भरना पूरी तरह से उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर बैंक के विवेक पर निर्भर है और यदि उम्मीदवारों की अनुपयुक्तता/अपर्याप्त संख्या के कारण पद नहीं भरा जाता है, तो नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।
 11. उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्च पर आवंटित केंद्र पर परीक्षा/साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे और बैंक किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
 12. संपर्क नंबर/पता/ईमेल आईडी/परीक्षा/साक्षात्कार केंद्र में बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
 13. अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने चाहिए। एकाधिक आवेदनों के मामले में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन ही रखा जाएगा और अन्य पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार जब्त कर लिया जाएगा। परीक्षा/साक्षात्कार में एकाधिक उपस्थिति/उपस्थिति के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द कर दी जाएगी।
 14. यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के समय अपलोड की गई उसी तस्वीर की 8 प्रतियां (लगभग) अपने पास रखें क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।
 15. साक्षात्कार/ज्वाइनिंग के समय, उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों, यदि कोई हो, के बारे में विवरण प्रदान करना होगा। बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड आदि के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है। बैंक ऐसे प्रकटीकरण और/या स्वतंत्र सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 16. चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग/प्लेसमेंट/उपयोग पूरी तरह से बैंक के विवेक पर किया जाएगा।
 17. यदि अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य संस्करण की व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
 18. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता होगी।
 19. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित होने के अधीन है। ऐसी सहभागिता भी बैंक के नियमों और नीतियों के अधीन होगी।
 20. सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों में सेवारत अभ्यर्थी राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जमा करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता है। चयन के मामले में, उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय नियोक्ता से कार्यमुक्ति पत्र और जहां भी लागू हो, संबंधित अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
 21. इस विज्ञापन के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया से उत्पन्न और/या संबंधित कोई भी विवाद कोलकाता में स्थित न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
 22. बैंक के पास किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

10) घोषणाएँ:

इस प्रक्रिया से संबंधित सभी आगे की घोषणाएं/विवरण केवल समय-समय पर बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com> पर प्रकाशित/प्रदान किए जाएंगे।

11) अस्वीकरण:

यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है तो उसकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। पात्रता, चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी अधिकार सुरक्षित रखता है और वही अंतिम होगा।

मुद्रण संबंधी त्रुटियों, यदि कोई हो, के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27-12-2024

महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग

दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

फोटोग्राफ छवि: (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) • फोटोग्राफ नवीनतम पासपोर्ट शैली की रंगीन तस्वीर होनी चाहिए। • सुनिश्चित करें कि चित्र रंगीन है, हल्के रंग, अधिमानतः सफेद, पृष्ठभूमि पर लिया गया है। • रिलैक्स चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें। • यदि तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है, तो सूरज को अपने पीछे रखें, या अपने आप को छाया में रखें, ताकि आप भंगा न हों और घनी छाया न पड़े। • यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "रेड-आई" न हो। • यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि उसमें कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। • टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं हैं। धार्मिक टोपी पहनने की अनुमति है लेकिन इससे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए। • आयाम 200 x 230 पिक्सेल (अधिमानतः)। • फ़ाइल का आकार 20kb-50 kb के बीच होना चाहिए। • सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50kb से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान रंगों आदि का स्कैनर की सेटिंग्स जैसे डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, संख्या को समायोजित करें। • अपलोड फोटो उचित आकार की होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली होनी चाहिए। • फ़ाइल प्रकार: jpg/jpeg.	हस्ताक्षर • आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करना होगा। • हस्ताक्षर पर केवल आवेदक का ही हस्ताक्षर होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं। • हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर और जहां भी आवश्यक हो, करने के लिए किया जाएगा। • यदि परीक्षा/साक्षात्कार के समय आवेदक के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। • आयाम 140 x 60 पिक्सेल (अधिमानतः)। • फ़ाइल का आकार 10kb – 50kb के बीच होना चाहिए। • सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50kb से अधिक न हो। • कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे • फ़ाइल प्रकार: jpg/jpeg.
--	--

फोटो कैप्चर करने के लिए क्या करें और क्या न करें:

क्या करें • सुनिश्चित करें कि फोटो हल्के रंग, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि पर लिया गया है और पर्याप्त रोशनी है। • सीधे वेबकैम/कैमरे की ओर देखें। • फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए।	क्या न करें • छोटे आकार का फोटोग्राफ क्लिक/अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। • रंगीन चश्मा या धूप का चश्मा/टोपी नहीं पहननी चाहिए। • चेहरे पर छाया/कैमरे की ओर न होना/विकृत चेहरा/मास्क से ढका हुआ चेहरा/धुंधली छवि। • फोटो अंधेरे/अनुचित पृष्ठभूमि में नहीं लिया गया।
---	--

कृपया सुनिश्चित करें कि फोटो, हस्ताक्षर, दस्तावेज (जैसा लागू हो) केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर ही अपलोड किए गए हैं।

दस्तावेज अपलोड करने के लिए:

- दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में स्कैन किया जाना है
- संबंधित लिंक 'फ़ाइल चुनें' पर क्लिक करें।
- ब्राउज़ करें और उस स्थान का चयन करें जहां स्कैन किया गया दस्तावेज/फ़ाइल सहेजा गया है।
- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें.
- अपलोड बटन पर क्लिक करें.

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:

• पहचान और पते का प्रमाण (अधिकतम 100 KB)	• जन्म का प्रमाण (अधिकतम 100 KB)
• शैक्षिक प्रमाणपत्र (अधिकतम 1एमबी)	• कोई अन्य दस्तावेज जैसे जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (अधिकतम 1एमबी)
• अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) जिसमें पदनाम/नौकरी प्रोफ़ाइल, सेवा की अवधि (विशिष्ट तिथियों के साथ), परिलब्धियां आदि निर्दिष्ट हों (अधिकतम 1एमबी)	